राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांकः– ई–12/एम/93/2018/72 दिनांकः– 16.1.19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख (वर्ष 2018–19) अंकित परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम जिसके द्वारा परीक्षा ली जानी है।
1	श्री कमल सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल चूरू	10वीं	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर
2.	श्री नवल कुमार बैरवा, च0श्रे0कर्मचारी	राजकीय चिकि0, शासन सचिवालय, जयपुर	एम.ए प्रीवियस(लोकप्रशासन)	राजस्थान विश्वविद्यालय
3.	श्री सम्पत कुमार, च0श्रे0कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	12वीं	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर
4.	श्री हेमन्त कुमार दुलारिया, च0श्रे0कर्मचारी	उप निदेशक पुनर्वास एंव अनुसंधान केन्द्र जयपुर	12वीं	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जयपुर

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरंतर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राज्यसेवक दैनिक राजकीय कार्य संपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी अन्यथा स्वीकृति समाप्त करदी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार /विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणो से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं है।

13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा ।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-12/एग/93/2018/72 दिनांक : 16.1.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. संबंधित कर्मचारीगण।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय ।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर